मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 30.07.2025

साइबर क्राइम पुलिस थाना, मीरजापुर के सक्रियता से पीड़ित के बैंक खाता से धोखाधड़ी कर निकाली गयी धनराशि कुल 2,12,631/- रु0 वापस कराया गया–

“सोमेन वर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ,जनपद मीरजापुर के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में चलाये जा रहे साइबर अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत पीड़ित अभय कुमार पुत्र सुजय कुमार निवासी देवर्षि नगर कालोनी,थाना कोतवाली देहात जनपद मीरजापुर के साथ साइबर अपराधीयों द्वारा वादी के मोबाइल को टेलीग्राम आईडी से जोड़कर अलग-2 टास्क पूरा करने पर अधिक पैसा कमाने की लालच देकर भिन्न-2 बैंक खातों में कुल 11,06,560/-रु0 की धोखाधड़ी कर ऑनलाईन ट्रान्जेक्शन करा लेने के सम्बन्ध में साइबर क्राइम थाना पर पंजीकृत मु0अ0सं0 07/25 धारा 318(4), 319(2) B.N.S. व 66 डी IT. Act. में विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान तत्काल रुप से कार्यवाही करते हुए आरोपी के खाते में पैसा होल्ड कराने के उपरान्त होल्ड धनराशि वादी के बैंक खातें में कुल 2,12,631/- रु0 वापस कराया गया। पैसा वापस आने पर पीड़ित/वादी द्वारा साइबर क्राइम थाना मीरजापुर की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद दिया गया।

बरामदगी/वापस धनराशी–

कुल 2,12,631/- रुपये

पुलिस टीम –

SHO रामअधार यादव, उ0नि0 अरविन्द कुमार यादव, का0 सोनू कुमार

REFUND
2,12,631/

****